

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई०ए०एस०)

अपील संख्या :- 106/21 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2021/115)

प्रेमसिंह पुत्र गिराज जाति कुशवाह निवासी अघापुर तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

राज० सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

.....रैस्पोजेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरुद्ध आदेश जिला कलक्टर
भरतपुर मु०नं० 01/2021 प्रेमसिंह बनाम सरकार निर्णय दिनांक
28.10.2021 (91 एल आर एक्ट)

उपस्थिति:-

1. श्री मोहन सिंह राना वकील अपीलान्ट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक:- 26.06.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 28.10.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार भरतपुर ने आदेश दिनांक 4.1.2021 से अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 774/0.68 गैर मुमकिन मरघट में से 150 वर्ग मीटर पर पक्का मकान व पशुवाडा बना कर अतिक्रमी मानते हुये 91 एल आर एक्ट के तहत अपीलान्ट को वेदखल किया जाकर विवादित आराजी से वेदखल कर शास्ती आरोपित किये जाने के आदेश पारित किये गये है। जिसकी अपील तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष की गई। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2021 पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज की गई तथा तहसीलदार भरतपुर का निर्णय 4.1.2021 यथावत रखा गया। इस आदेश के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पोजेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि जिला कलक्टर भरतपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.10.2021 एवं तहसीलदार भरतपुर का निर्णय दिनांक 04.01.2021 विधि विरुद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। दोनों तहत अदालतों द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर संस्थित की गई। धारा 91 एल आर एक्ट की रिपोर्ट करने से पूर्व कोई पैमाईश किसी भी खसरा नम्बर की नहीं की गई। बिना पैमाईश किये अपीलान्ट का अतिक्रमण खसरा नम्बर 774 वाकै ग्राम अघापुर में 150 वर्ग मीटर पर मानने में अहम कानूनी गलती की है। तहसीलदार भरतपुर के न्यायालय में दिनांक 4.1.2021 को अपीलान्ट द्वारा जबाब हेतु मौका चाहा गया था, परन्तु तहसीलदार भरतपुर द्वारा दिनांक 4.1.2021 को ही अपीलान्ट को जबाब का अवसर न देकर बेदखल करने के आदेश देने में अहम कानूनी गलती की है। तहसीलदार

७६
२६.६.२०२३

भरतपुर द्वारा न्यायिक प्रक्रिया को न अपनाते हुये अपनी मनमर्जी से निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को न तो जबाब प्रस्तुत करने का मौका दिया और ना ही पटवारी हल्का के बयान लिये गये। जबकि पटवारी हल्का के बयान लिया जाना कानूनन आवश्यक था। न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा भी इस ओर ध्यान न देकर तहसीलदार भरतपुर के निर्णय को यथावत रखने में अहम कानूनी गलती की है। आराजी खसरा नम्बर 774 के किसी भी भाग पर अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्ट का पक्का निर्माण स्वयं की खातेदारी के खसरा नम्बर 776 पर है जिसमें दो पुख्ता कमरों का निर्माण इन्द्रा आवास योजना के तहत अपीलान्ट की माता अतरकौर द्वारा लगभग 15 वर्ष पूर्व करवाया गया था। अपीलान्ट द्वारा घरेलू बिजली कनेक्शन लिया हुआ है एवं पानी के लिए नल कनेक्शन भी लिया हुआ है। पटवारी हल्का द्वारा बिना पैमाईश किये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसको आधार मानकर अपीलान्ट को बेदखल करने में अहम कानूनी भूल की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 28.10.2021 व तहसीलदार भरतपुर का आदेश 04.01.2021 निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सरकारी पैराकार ने तर्क दिया कि जिला कलक्टर, भरतपुर व तहसीलदार, भरतपुर की ओर से पारित अपीलान्तीय निर्णय दिनांक 28.10.2021 व 04.01.2021 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित है। इसलिए उक्त निर्णयों में किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं होने के कारण अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है। पटवारी हल्का अघापुर तहसील भरतपुर द्वारा अपीलान्ट का आराजी खसरा नम्बर 774/0.68 में से 150 वर्ग मीटर गैर मुमकिन मरघट पर पक्का मकान व पशुवाडा बनाकर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट की गई जिस पर तहसीलदार भरतपुर द्वारा गैरमुमकिन मरघट पर अतिक्रमण पाये जाने पर नियमानुसार अपीलान्ट के विरुद्ध 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही अमल में लाते हुये अपीलान्ट को अतिक्रमित भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये है अतिक्रमी/अपीलान्ट को वकायदा नोटिस जारी किये गये है जिसके तामील भी हो चुकी है और परीक्षण न्यायालय में उपस्थित भी हुआ है। किन्तु उनके द्वारा कोई जबाब पेश नहीं किया गया। अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि उनको सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2021 नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाही है जो न्यायोचित है। इसकी अपील जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष पेश की गई। तहत अदालत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलान्ट को तलब किया गया। उनकी ओर से श्री मुरारीलाल एडवोकेट द्वारा वकालतनामा भी पेश किया गया है इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता थी हर दो तहत अदालतों में उनको सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा दोनों ही अदालतों में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया जिससे उनके द्वारा किये गये अतिक्रमण को वैध माना जा सके। इसलिए हर दो तहत अदालतों के आदेश न्यायसंगत है, जो कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण से बेदखल करने के लिये दोनों ही अदालतों ने विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये आदेश पारित किये गये है। इसके अलावा न्यायालय हाजा में भी अपीलान्ट केवल तहत अदालतों की कमियां बताने में लगे हुये है ना कि उनके द्वारा किये गये अतिक्रमण के संबध में कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश किये जा रहे है। अपील अपीलान्ट बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार भरतपुर द्वारा पारित

26.6.2023

निर्णय दिनांक 04.01.2021 व जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.2021 यथावत रखा जावे।


अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक व सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 28.10.2021 व तहसीलदार भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 04.01.2021 के विरुद्ध द्वितीय अपील अपीलान्ट द्वारा अदालत हाजा में प्रस्तुत की गई है। जिसमें खसरा नंबर 774 में किसी तरह का अतिक्रमण नहीं होकर स्वयं की खातेदारी में स्थित 776 में पुराना मकान बने होने का उल्लेख किया गया है। अपील के साथ अपीलाधीन निर्णयों की प्रति के साथ-साथ ग्राम अघापुर के नक्शा किस्तवार की फोटोप्रति, जयपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से जारी बिल की फोटोप्रति व जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 की प्रतियां प्रस्तुत की हैं। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में यह तर्क दिया है कि अपीलान्ट का विवादित खसरा नंबर पर कोई कब्जा या अतिक्रमण नहीं है। परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट द्वारा स्वयं की खातेदारी में स्थित भूमि में वर्षों से मकान बनाया हुआ है। पटवारी हल्का द्वारा पैमाइश किए बिना अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की गई है। परीक्षण न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को नजरअंदाज किया है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.01.2021 व 28.10.2021 खारिज किया जावे। तहसीलदार भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 04.01.2021 संबंधी पत्रावली का अवलोकन किए जाने से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का ग्राम अघापुर की ओर से तहसीलदार भरतपुर के समक्ष दिनांक 13.11.2020 को अपीलान्ट के विरुद्ध खसरा नंबर 774 रकबा 0.68 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन मरघट (सिवायचक) की 150 वर्गमीटर भूमि पर पक्का मकान व पशुवाड़ा बनाकर अतिक्रमण किए जाने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के पीछे खसरा नंबर 774 का नजरी नक्शा बनाकर अपीलान्ट की ओर से किए गए अतिक्रमण को लाल स्याही से अंकित कर दर्शाया हुआ है। इस रिपोर्ट की भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी जांच की गई। पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार भरतपुर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दिनांक 03.12.2020 को विधिवत नोटिस जारी किया गया। जिसकी तामील होने पर अपीलान्ट तहसीलदार भरतपुर के न्यायालय में दिनांक 15.12.2020 को उपस्थित हुए। निर्णय दिनांक 04.01.2021 को भी अदालत मातहत में अपीलान्ट उपस्थित हुए, परन्तु किसी तरह का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। तहसीलदार भरतपुर द्वारा पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.01.2021 को पारित किया है, जिसमें यह उल्लेख किया है कि विवादित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है। इस भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः गैर सायल को अतिक्रमी करार देते हुए मौके से बेदखल किए जाना उचित मानकर बेदखली का आदेश पारित किया है। उक्त निर्णय की प्रथम अपील जिला कलक्टर, भरतपुर के न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत की गई जिसमें उल्लेख किया गया है कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट के द्वारा कोई मकान आदि नहीं बनाए हुए हैं, वरन् स्वयं की खातेदारी में स्थित खसरा नंबर 776 में मकान आदि 50 वर्षों से बनाए हुए हैं। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में किसी तरह के कोई दस्तावेज या रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया तथा विवादित भूमि के सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने के कारण आवंटन/नियमन नहीं किए जा सकने के आधार पर अपीलान्ट के किसी

08
26.6.2023

भी प्रकार की रिलिफ प्राप्त करने का हकदार नहीं होना मानकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.10.2021 के द्वारा अपील अपीलान्त खारिज किया जाने का आदेश पारित किया है। उक्त दोनों निर्णयों में किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि अपीलाधीन निर्णय पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद पारित किया गया है। जहां तक वकील अपीलान्त का यह तर्क कि अपीलान्त का विवादित भूमि पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं होकर उसकी स्वयं की खातेदारी में स्थित भूमि पर मकान बने हुए हैं तो इस संबंध में अपीलान्त की ओर से किसी तरह की कोई साक्ष्य या सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उनके इस कथन की पुष्टि होती हो कि अपीलान्त द्वारा स्वयं की खातेदारी में स्थित भूमि पर मकान आदि बनाया गया है। मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत जयपुर विद्युत वितरण निगम के बिल व जमाबन्दी की प्रति से ही यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अपीलान्त द्वारा विवादित खसरा नंबर पर अतिक्रमण नहीं कर स्वयं की खातेदारी में स्थित भूमि में मकान बनाया गया है। दूसरी ओर पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में खसरा नंबर 774 रकबा 0.68 हैक्टेयर के 150 वर्गमीटर पर पक्का मकान व पशुवाड़ा बनाकर अतिक्रमण किए जाने की रिपोर्ट की गई है। इस रिपोर्ट के पीछे खसरा नंबर 774 के जिस क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया है। उसको लाल स्याही से इंगित किया गया है। इसकी भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी जांच कर पुष्टि की गई है। अतः इस रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं रह जाता है। अपीलान्त को परीक्षण न्यायालय तहसीलदार भरतपुर व प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान किए जाने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.01.2021 व 28.10.2021 को पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। जहां तक वकील अपीलान्त का यह तर्क कि अपीलान्त द्वारा खसरा नंबर 774 में अतिक्रमण नहीं कर स्वयं की खातेदारी में स्थित खसरा नंबर 776 पर मकान आदि बनाए हुए हैं तो इस संबंध में पैमाइश/सीमाज्ञान करवाने हेतु स्वतंत्र है, परन्तु उक्त प्रकरण में अपीलान्त द्वारा खसरा नंबर 774 रकबा 0.68 हैक्टेयर के 150 वर्गमीटर में अतिक्रमण किए जाने की भलीभांति पुष्टि हो रही है। उक्त खसरा नंबर की किस्म गैर मुमकिन मरघट है जो कि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। इस तरह की भूमि पर हुए अतिक्रमण का आवंटन/नियमन नहीं किए जा सकने के कारण किसी प्रकार की कोई रिलिफ अपीलान्त को नहीं दिए जा सकने का जो अभिमत विचारण न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिया गया है, वह उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्त खारिज की जाकर तहसीलदार भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2021 व जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।


(साँवर मर्ल वमा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर